जीसीएमएस नं. 2026/45

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 10/2026

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह, निवासी गांव 12 एच, तहसील अनूपगढ़, हाल निवासी 62 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. मि. क्रिस्पर, अंधविद्यालय के सामने, सैक्टर 17, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 सिलेण्डर मय 18.6 किलोग्राम गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी गुरप्रीत सिंह स्वयं।

निर्णय दिनांक: 13.03.2026

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग के विरूद्ध विशेष अभियान(16 फरवरी से 27 फरवरी) श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं आपुर्ति विभाग, जयपुर के आदेश कमांक एफ 65()खा.वि. /एलपीजी/2026/राजकाज नंबर 20500951 दिनांक 12.02.2026 व जिला कलक्टर महोदया के आदेश दिनांक 16.02.2026 की पालना में श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मन जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 17.02.2026 को अंधविद्यालय के सामने, सैक्टर 17, श्रीगंगानगर में स्थित मि. क्रिस्पर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह, निवासी गांव 12 एच, तहसील अनूपगढ़, हाल निवासी 62 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान की जांच में पाया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग चाय, नमकीन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाए गए 02 गैस सिलेंडर भारत गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह की उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम, जाति शाक्य, निवासी सत्या**

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कॉलोनी, श्रीगंगानगर सैल्समैन मूमल गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस का अवैध गैस रिफलिंग में दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि उत्तरदाता गुरप्रीत सिंह द्वारा मिस्टर क्रिस्पर के नाम से एक कैफे का संचालन अंध विद्यालय के सामने सैक्टर नम्बर 17, श्रीगंगानगर में किया जा रहा है। दिनांक 17.02.2026 को पूजा अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ, उत्तरदाता के कैफे पर जांच हेतु पहुंचे। जिनके द्वारा उत्तरदाता के 02 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर को मौक पर जब्त किया गया है। जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक रीडर/26/344 दिनांक 23.02.2026 के जरिये उत्तरदाता के विरूद्ध धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है। उत्तरदाता द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक तौर पर नही किया जा रहा था बल्कि वह घरेलू उपयोग हेतु साईड में पड़े थे और मौका पर व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डर ही उपयोग में लिये जा रहे थे। जबकि प्रवर्तन अधिकारी पूजा अग्रवाल द्वारा मौका पर पास में पड़े घरेलू सिलेण्डर को ही जब्त किया गया। उत्तरदाता द्वारा LPG (Regulation of Supply And Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग), 4 (1) (ग) (2) व 7(1) (ग) की कोई अवहेलना नहीं की है।

अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उत्तरदाता के प्रति नरमाई का रूख अपनाया जाकर उत्तरदाता के 02 एलपीजी घरेलू उपयोग के सिलेण्डर की सुपुर्दगी उत्तरदाता को दी जावे। आपकी अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि जांच के दौरान मन जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 17.02.2026 को अंधविद्यालय के सामने, सैक्टर 17, श्रीगंगानगर में स्थित मि. किस्पर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह, निवासी गांव 12 एच, तहसील अनूपगढ़, हाल निवासी 62 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान की जांच में पाया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गैस सिलेण्डर का उपयोग चाय, नमकीन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाए गए 02 गैस सिलेंडर भारत गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह की उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम, जाति शाक्य, निवासी सत्या कॉलोनी, श्रीगंगानगर सैल्समैन मूमल गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस का अवैध गैस रिफलिंग में दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग) 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि जांच के दौरान मन जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 17.02.2026 को अंधविद्यालय के सामने, सैक्टर 17, श्रीगंगानगर में स्थित मि. क्रिस्पर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह, निवासी गांव 12 एच, तहसील अनूपगढ़, हाल निवासी 62 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान की जांच में पाया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग चाय, नमकीन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाए गए 02 गैस सिलेंडर भारत गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह की उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम, जाति शाक्य, निवासी सत्या कॉलोनी, श्रीगंगानगर सैल्समैन मूमल गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस का अवैध गैस रिफलिंग में दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र** श्री सतनाम सिंह द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 18.6 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner